है ? जिस तरह से गन्ने की खेती का आपने एक मूल्य निर्धारित किया है, उसी तरह से कपास की वाजिब कीमतें निर्धारित करने की दृष्टि से सरकार ने जो बारबार आश्वासन दिया है कि हम कपास के उत्पादकों को उचित मूल्य देंगे, उस सम्बन्ध में सरकार क्या करना चाहती है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र के बारे में कहा। महाराष्ट्र में मोनोपली प्रोक्योरमैंट स्कीम है, सरकार उसे चला रही है। वहां किसी किस्म की न तो शिकायत आयी है और न आ सकती है।

गारण्टी प्राइस के बारे में माननीय सदस्य ने जो बात छेड़ी तो ऐसी कोई योजना सरकार के पास नहीं है। कपास के लिए एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन की ओर से जो सिफारिशें आती हैं, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होनी चाहियें, उससे नीचे दाम न गिरे यह हम देखते हैं। जैसा मैंने उत्तर में बताया है आज स्थिति यह है कि आमतौर पर उन सारे क्षेत्रों में जहां अच्छे किस्म का कपास पैदा होता है, जो निर्धारित दाम है, उससे वहां काफी ज्यादा दाम है। काटन कार्पोरेशन आफ इंडिया के माध्यम से हम बड़ी मात्रा में इस साल कपास खरीद रहे हैं, 15 लाख बेल कपास खरीदने का इरादा है और अब साढ़े 6 लाख बैल से अधिक कपास खरीद ली है। इसके अलावा और भी कदम उठाये गये हैं जिससे कपास के दामों में स्थिरता रहे और समय समय पर जो भी हमको निर्णय लेना होगा लेते रहेंगे।

MR. SPEAKER Short Notice Question No 1 (*Interruptions*)**

Don't record

(*Interruptions*)**

MR SPEAKER Short Notice Question No I Shri Raghubir Singh Macchand

SHORT NOTICE QUESTION

Supply of cement to Madhya Pradesh

I SHRI RAGHBIR SINGH MACCHAND Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state.

(a) whether difficulties are being experienced due to short supply of cement against the demand in Madhya Pradesh keeping in view its large size, industrialisation and development projects,

(b) whether the quantity of cement supplied to the State this year is much less as compared to that of last year and whether the supply of cement quota goes on declining in every quarter,

(c) whether Madhya Pradesh is supplied less quantity of cement as compared its needs, area and production capacity vis-a-vis other States; and

(d) whether the Madhya Pradesh State Government are asking for 2 50 lakh metric tonnes of cement for each quarter but the Central Government is not supplying accordingly?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House

Statement

In spite of a record production of cement during 1978 reports of shortage have been received from several States including Madhya Pradesh, as demands has exceeded supply due to spurt in activities like housing, irrigation, power etc The quarterly allocation of cement made to the State of Madhya Pradesh during the years 1977, 1978 and 1979 (part) and the despatches effected are given below —

(Figures in '000 tonnes)

Qr	Allocation	Despatches
I/77	215 00	183 6
II/77	164 00	175 3
III/77	170 00	168 4
IV/77	187 00	157 3
Total	736 00	684 6
I/78	230 00	176 3
II/78	230 00	180 9
III/78	180 00	205 4
IV/78	185 00	195·1
Total	825 00	757 7
1/79	200 00 (January '79 only)	82.00

**Not recorded.

It will be seen from the figures given above that the despatches of cement in the year 1978 were of the order of 757 7 thousand tonnes against 664 6 thousand tonnes in 1977 In the month of January, 1979 also, despatches have been more than the pro-rata monthly allocation of cement to the State

The quarterly allocation of cement for the State of Madhya Pradesh has been fixed at 1 80 lakh tonnes per quarter The State Government had represented for increasing their allocation to 3 5 lakh tonnes per quarter This has not been possible due to overall inadequate availability of cement in the country as a whole It is however, not correct to say that Madhya Pradesh has been supplied less quantity of cement as compared to its needs area and production capacity vis a-vis other States When the availability of cement improves it will be possible to increase the allocation of cement to all the States/Union Territories For April to June 1979 it has been decided to increase the normal allocation of all States by 10 per cent

श्री रघुवीर सिंह मलण्ड अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हर तिमाही में सन् 1978 में हमारा सीमेंट का कोटा कम कर दिया गया जिसकी वजह से हमारे यहां प्रगति बहुत कम हो रही है। बहुत सी बिल्डिंगें पड़ी हैं जिन्हें बनाना है और बहुत से जरूरी काम ऐसे हैं जिन्हें शुरू होना है और खत्म होना है, इसके लिये मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस माननीय सदस्य ने जो बात कही कि हर तिमाही में जो कोटा मिलना चाहिये, उसमें कमी होती जा रही है, वह तथ्यों पर आधारित नहीं है ।

सन् 1978 में पहली तिमाही में जो कुल सीमेंट मध्य प्रदेश को दी गई थी वह 1 लाख 76 हजार टन, दूसरी तिमाही में 1 लाख 80 हजार टन और तीसरी तिमाही में 2 लाख 5 हजार टन और चौथी तिमाही में 1 लाख 95 हजार टन थी। पिछले साल मध्य प्रदेश को कुल सीमेंट का आवटन 7 लाख 57 हजार टन था ।

उसके पहले साल 6 लाख 84 हजार टन था। इस साल पहली तिमाही में जहां 2 लाख टन का एलोकेशन हुआ है वहां जनवरी में ही 82 हजार टन सीमेंट की आपूर्ति मध्य प्रदेश के लिए हुई है। इसलिए माननीय सदस्य की इस मामले में जो शिकायत है वह तथ्यों पर आधारित नहीं है ।

श्री रघुवीर सिंह मलण्ड दूसरे राज्यों को मध्य प्रदेश के मुकाबले में ज्यादा सीमेंट दिया गया है, हालांकि स्क्वेयर माइल के हिसाब से उन का एरिया कम है। मंत्री महोदय ने बाढ़ की बात कही है। बाढ़ तो सभी जगह आई है, एक जगह नहीं आई है। सिर्फ डिग्री का फर्क है—कहीं कम और कहीं ज्यादा आई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि दूसरे राज्यों के मुकाबले में मध्य प्रदेश को बहुत कम सीमेंट दिये जाने का क्या कारण है दूसरे राज्यों का सीमेंट इस प्रकार दिया गया है —उत्तर प्रदेश 4 95 लाख मे० टन, महाराष्ट्र 4 95 लाख मे० टन पश्चिमी बंगाल 3 25 लाख मे० टन, गुजरात 3 37 लाख मे० टन, बिहार 2 52 लाख मे० टन, तामिलनाड 3 50 लाख से० टन केरल 1 83 लाख मे० टन ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस यह बात नहीं है कि सरकार इस प्रकार की कोई नीति अपना रही है कि किसी क्षेत्र को कम और किसी क्षेत्र को ज्यादा सीमेंट दिया जाय । सीमेंट के आवटन के बारे में कुछ सिद्धान्त बनाये गये हैं —सीमेंट की कमी होने के कारण ऐसी प्रक्रिया को अपनाना पड़ा है—और उन के आधार पर हम हर एक राज्य को सीमेंट दे रहे हैं । अगर किसी एक राज्य में बाढ़ या किसी अन्य विशेष कारण से कोई तकलीफ हुई हो तो सभी राज्यों के साथ बातचीत कर के उसका कुछ अधिक सीमेंट देने का इन्तजाम किया गया है वर्ना हम ऐसी कोई भी नीति नहीं चला रहे हैं जिससे किसी राज्य को दिये जाने वाले सीमेंट में कमी हो ।

श्री सुखेन्द्र सिंह मध्य प्रदेश को 1 80 लाख टन प्रति क्वार्टर का कोटा एलाट किया गया है । मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहां चल रही परियोजनाओं और निर्माण-कार्यों को दृष्टि में रखते हुए 3 50 लाख टन की मांग की है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश को जो इतना कम कोटा दिया गया है उससे कैसे काम चलेगा। मध्य प्रदेश को 1977 में 684 6 हजार टन और 1978 में 757 7 हजार टन सीमेंट दिया गया था। अगर मंत्री महोदय मध्य प्रदेश का कोटा 3 5 लाख टन नहीं कर सकते हैं, तो वह 2 50 लाख टन प्रति-क्वार्टर कर दें, उस से हमारे प्रदेश की मांग कुछ हद तक पूरी हो जाती है ।

एक माननीय सदस्य . नहीं पूरी होती है ।

श्री सुखेन्द्र सिंह · इस लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि हमें जो 1 80 लाख टन का कोटा दिया गया है, वह बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाये ।

श्री जाज फर्नान्डीस . इस साल हम सीमेंट के उत्पादन में काफी वृद्धि करेंगे । मैं माननीय सदस्य को निश्चित रूप से बता सकता हूं कि इस साल मध्य प्रदेश को जो सीमेंट दिया जायेगा, वह पिछले साल से काफी ज्यादा होगा ।

श्री छविराम अर्गल मध्य प्रदेश के लिए 1 80 लाख टन का जो कोटा निर्धारित किया गया है, वह कम है । राज्य सरकार ने अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए 3 5 लाख मट्रिक टन की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन भेजा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गये अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की है ।

मध्य प्रदेश में सीमेंट के लिए बहुत सा मैटीरियल उपलब्ध है । क्या सरकार वहां सीमेंट की कमी को देखते हुए वहां सीमेंट की फैक्टरी स्थापित करेगी जिससे सीमेंट की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके ?

श्री जाज फर्नान्डीस . अध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश की जो मांग है वह 3 5 लाख टन क्वार्टर की है । लेकिन मैंने बताया कि आज जो सीमेंट की कमी है उस के होते हुए इस मांग को पूरा करना संभव नहीं है । मगर चूंकि अभी इस साल में जो चालू वर्ष है उसमें सीमेंट का कुल उत्पादन देश में काफी मात्रा में बढ़ेगा इसलिए मध्य प्रदेश की आवश्यकता को जहां तक हम पूरा कर सकते हैं वहां तक हम पूरा करने का प्रयास करेंगे । (व्यवधान) कुछ उस के लिए मूल्य तय किए हुए हैं । उस आधार पर हम मध्य प्रदेश के लिए सीमेंट कोटा को बढ़ाने का कार्य करेंगे ।

जहां तक मध्य प्रदेश में सीमेंट उत्पादन के लिए नई क्षमता निर्माण करने की बात है, हम ने कई नये लाइसेंस सीमेंट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दिए हैं । एक दो अभी विचाराधीन हैं उस में भी कोई ज्यादा विलम्ब नहीं होगा उनको मंजूर करने में ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Industrial Growth Rate

*406 SHRI VIJAY KUMAR N PATIL Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state·

(a) what is targetted industrial growth for 1978 and the actual performance as worked out by the Central Statistical Organisation and Finance Ministry separately

(b) whether it is a fact that the figure compiled by three sources are at large varience and the reasons therefor;

(c) taking all these estimates together, what is the industrial production growth for the calendar year 1978, and

(d) the reasons for short-fall if any and the targets fixed for the next year?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES)· (a) and (b) The target of industrial growth for the financial year 1978-79 is 7-8 per cent According to the index of Industrial production compiled by the Central Statistical Organisation (CSO), the rate of growth during April—November 1978 was 7 9 per cent This is in line with the rate of growth estimated by the Ministry of Industry on the basis of advance production data for selected industries, several weeks in advance of the official index released by the C S O According to the Economic Survey for the year 1978-79 released by the Ministry of Finance, the growth rate of industrial production for 1978-79 based on current trends has been placed at 8 per cent

(c) According to the index of industrial production available up to November, 1978, the rate of growth of industrial production for the first 11 months of the calendar year 1978 was 6 6 per cent

(d) The rate of growth for the financial year 1978-79 is likely to be in line with the target of 7 to 8 per cent No specific target for industrial growth for 1979-80 has been fixed so far

Formation of a separate Act for Small Scale Industries

*409 SHRI V G HANDE· Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state·

(a) whether Government are considering to make a separate Act for the Small Scale Industry,

(b) the objectives underlying it, and

(c) when the necessary legislation will be brought before Parliament?